पंचायती राज मंत्रालय

जून, 2020 के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) संविधान के 73 वें संशोधन की वकालत, निगरानी और कार्यान्वयन के कार्य के लिए जिम्मेदार है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों के प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक आधारभूत संरचना, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना शामिल है। उपरोक्त उद्देश्य को समझने के लिए मंत्रालय का रोडमैप निम्नलिखित तीन स्तंभों के माध्यम से है:

- वित्त आयोग अनुदान के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और वकालत के कार्य के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से संपूरित समग्र योजना

पंचायती राज मंत्रालय की जून, 2020 की प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास एवं आयोजनों का संक्षिप्त विवरण

1. पंचायती राज मंत्रालय को 28 राज्यों के व्यय विभाग (DoE) के पत्र सं. 15 (2) FC- XV / FCD / 2020-25 दिनांक 01.06.2020 के द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) को पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) अनुदान जारी करने के लिए सिफारिशें देने का काम दिया गया है। जिसमें पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश भी हैं।

2. कोविड 19 महामारी के मद्देनजर ग्रामीण मूल स्थानों पर लौट आए प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास की दिशा में आरएलबी की तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, और महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी 28 राज्यों में आरएलबी को पंद्रहवें वित्त आयोग बेसिक (अबद्ध) और बद्ध अनुदान की पहली किस्त जारी करने के लिए, बिना किसी पूर्व शर्त के सहमति व्यक्त की। 17 जून, 2020 को 28 राज्यों में पंद्रहवें वित्त आयोग मूल (अबद्ध) के अनुदान की पहली किस्त के 15187.50 करोड़ रुपये के जारी किए गए ।

3. आरएलबी के हाथों पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान की उपलब्धता से ग्रामीण नागरिकों को पानी की आपूर्ति और स्वच्छता की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के साथ-साथ अन्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास सहित बुनियादी सेवाओं के वितरण की प्रभावशीलता को मजबूत करने की संभावना है। मंत्रालय ने राज्यों को ग्राम पंचायत भवन के निर्माण की दिशा में MGNREGS और अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जन मोड में चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के साथ-साथ पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का उपयोग करने का भी सुझाव दिया है, जिनके पास वर्तमान में ऐसी सुविधा नहीं है। इससे प्रवासी मजदूरों की सेवाओं को प्राप्त करने और उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।

4. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न लक्ष्यों / उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज के माननीय मंत्री, पंचायती राज से दिनांक 20 जून, 2020 को एक अ.शा. पत्र क्रमांक जी-39011 / 2/2017-FD-खण्ड.1 जारी किया गया है।

(i) कोविड-19 के प्रसार की जाँच करने के लिए सख्त सामुदायिक सतर्कता और सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों की बहाली।

(ii) गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA) के तहत एमजीएनआरईजीएस और केंद्रिय वित्त आयोग अनुदानों से ग्राम पंचायत भवन (GPBs) के निर्माण की दो प्रमुख गतिविधियाँ और केंद्रीय वित्त आयोगों (CFC) अनुदानों के तहत कार्यों का कार्यान्वयन करना।

(iii) केंद्रीय वित्त आयोगों के अनुदानों का उपयोग करके ग्राम पंचायतों में स्थित अन्य सार्वजनिक भवनों / परिसंपत्तियों जैसे स्कूल, स्वास्थ्य उप-केंद्र, बीज और उर्वरक बेचने वाले सहकारी भंडार आदि की मरम्मत और रखरखाव से संबंधित कार्यों को शुरू करना।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत भवन की प्रमुख अवसंरचना घाटे को पाटने के साथ ही अपने कौशल सेट के अनुसार लोगों को तत्काल रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सीएफसी निधियों का उपयोग करते हुए एमजीएनआरईजीएस, ग्रामपंचायत, ओएसआर और स्टेट राज्य योजना के साथ धन जुटाना।

(v) PRI द्वारा लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सीएफसी अनुदान प्राप्त करने वाले राज्यों में *पीएफएमएस-प्रियासोफ्ट* और ऑडिट ऑनलाइन अनुप्रयोगों का कार्यान्वयन; क्रमशः पीआरआई की विभिन्न गतिविधियों के लिए एक ऑडिटिंग प्रणाली बनाना।

5. 10 जून, 2020 के सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मुख्य सचिवों को संबोधित एक संयुक्त पत्र के माध्यम से, राज्यों से वित्त आयोग के अनुदानों को एमजीएनआरईजीएस के साथ-साथ राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) फंड, पंचायतों के स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) और किसी भी फंड की कमी को पूरा करने के लिए राज्य योजनाओं के उपयोग के माध्यम से मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान पंचायत भवन या किसी अन्य सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रत्येक जिले के लिए रणनीति तैयार करने का अनुरोध किया गया है। यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख बुनियादी ढाँचे की कमी को पूरा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में उपलब्ध कुशल और अकुशल जनशक्ति को तत्काल रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लिया गया है।

6. पंद्रहवें वित्त आयोग समन्वयन समिति का गठन सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, नियंत्रक एवं ऑडिटर जनरल, एनआईआरडी एवं पीआर और पंचायती राज विभागों के अलग-अलग क्षेत्रों से राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व के साथ, वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग समन्वयन समिति आरएलबी के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। राज्यों को आरएलबी को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय निगरानी समितियों (एचएमएलसी) का गठन करने के लिए भी कहा गया है।

7. संयुक्त सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में पंद्रहवें वित्त आयोग सिफारिश समिति का, तीन सदस्यों के साथ राज्यों को आरएलबी के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान की निर्मुक्ति, पंद्रहवें वित्त आयोग दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और राज्यों में आरएलबी द्वारा धन के उपयोग की सिफारिश करने के लिए गठित की गयी है।

8. 10 जून, 2020 को यूनिसेफ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई थी, ताकि "ग्रामीण जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वच्छता क्षेत्र के लिए सेवा स्तर बेंचमार्क" के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीकों को लागू किया जा सके। कौशल विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने भी वीडियो सम्मेलन में भाग लिया।

9. पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए 25 जून, 2020 को वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए आरएलबी को पुरस्कार के लिए आयोग द्वारा विचार के लिए विभिन्न सिफारिशों पर एक प्रस्तुति दी गई थी।

10. सभी छह ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान (GKRA) राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पंचायती राज मंत्रालय को 26 जून, 2020 के अ.शा. पत्र के जवाब में मिशन मोड में निगरानी / कार्यान्वयन के लिए दो प्रमुख गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया। (i) ग्राम पंचायत भवन (GPBs) निर्माण और (ii) केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत कार्य का कार्यान्वयन - पंचायती राज मंत्रालय के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत चिह्नित जीकेआरए जिलों द्वारा दो प्रमुख गतिविधियों के लिए किए गए व्यय की प्रगति मंत्रालय द्वारा साप्ताहिक आधार पर जीकेआरए पोर्टल www: gkra.nic.in पर अपलोड की जा रही है।

11. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की तीसरी बैठक 23 जून, 2020 को आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़, गुजरात, मणिपुर, ओडिशा, लद्दाख, लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव यूटी राज्यों की वार्षिक कार्य योजना (AAP), में वर्ष 2020-21 के लिए, 100.29 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई। आरजीएसए के तहत, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों को महीने के दौरान 43.14 करोड़ रू. की धनराशि जारी की गई ।

12. आरजीएसए के तहत एनआईआरडी और पीआर से संशोधित परियोजना प्रस्ताव, एनआईआरडी और पीआर द्वारा परियोजना के प्रबंधन और निगरानी को एकीकृत करने पर भी विचार किया गया है और CEC की तीसरी बैठक में 31.08 करोड. रू. की राशि मंजूर की गई।

13. वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम रिपोर्ट में, पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के तीनों स्तरों के लिए 60,750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से आधी धन राशि (50%) बद्ध हैं और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और पानी की रीसाइक्लिंग के लिए है। शेष 50% लोगों की स्थानीय जरूरत के अनुसार उपयोग किया जाना है। तदनुसार, पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों को 2020-21 की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को संशोधित करने का निर्देश दिया है। अब तक, पारंपरिक स्थानीय निकायों सहित 2,21,710 ग्राम पंचायतों ने अपने जीपीडीपी को अद्यतन /

संशोधित किया है और ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन में अपलोड किया है। जैसा कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के तीनों स्तरों को अनुदान आवंटित किया है, जो पंद्रहवें वित्त आयोग सिफारिशों से बाद में है। मध्यवर्ती / ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तर की योजना तैयार करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं और राज्यों के साथ साझा किए गए हैं।

14. पंचायती राज मंत्रालय ने 13 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 15 आर्किटेक्चर / इंजीनियरिंग संस्थानों के सहयोग से प्रति संस्थान 2 ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए पायलट आधार पर ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना के लिए पहल की है। । इस पायलट अध्ययन के लिए संबंधित संस्थान और राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के साथ परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कुल 32 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। चयनित पंचायतें शहरी नियोजन को अपनाने के लिए पेरी-अर्बन और राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शेष पंचायतों के लिए एक बीकन पंचायतों के रूप में कार्य करेगी। पंचायती राज मंत्रालय नीति सलाहकार के रूप में मुख्य हितधारक होगा और शैक्षणिक संस्थानों के लिए मंच प्रदान करेगा।

15. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए सख्ती से आगे बढ़ रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय प्रियासॉफ्ट पर खाता बंद करने के साथ-साथ पीएफएमएस पर ग्राम पंचायत पंजीकरण के लिए राज्यों का अनुसरण कर रहा है।

- वर्ष 2018-19 के लिए, लगभग 87% ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक किताबें बंद कर दी हैं।
- वर्ष 2019-20 के लिए, 92% जीपी ने अपनी महीने की किताबें बंद कर दी हैं और 80% ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक किताबें बंद कर दी हैं।

16. इसके अलावा, 1,51,071 ग्राम पंचायतों में प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस है; जिसमें से 1,03,906 ग्राम पंचायतों ने 2019-20 के लिए 14 वें वित्त आयोग के तहत किए गए व्यय के लिए ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल (पूर्ववर्ती प्रियासॉफ्ट-पीएफएमएस इंटरफ़ेस (PPI)) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया है।

17. *ई-ग्राम स्वराज पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग को 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा जून, 2020 में 4 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए थे।* ये वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए ताकि राज्यों को ई-ग्रामस्वराज के एप्लिकेशन वर्कफ़्लो से परिचित कराया जा सके।

18. *ड्रोन सर्वेक्षण पद्धति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद (आबादी) भूमि के सीमांकन के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना भी शुरू की गई।* इससे गाँव के घरेलू मालिकों के पास गाँवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मकान रखने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने का 'अधिकार' उपलब्ध होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के साथ बैठक पायलट चरण स्वामित्व योजना राज्यों, राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग

और एनआईसी के साथ स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए हुई। ड्रोन का उपयोग कर ग्रामीण भारत के बड़े पैमाने पर मानचित्रण के कार्यान्वयन के बारे में सर्वेक्षण के साथ पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए तैयार डैशबोर्ड के लिए परीक्षण शुरू हो गया है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जहां ड्रोन-सर्वेक्षण पहली बार किया जा रहा है, सीखने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य ने 5 गांवों में अपने पायलट सर्वेक्षण किए। विभिन्न आईईसी गतिविधियों को भी शुरू किया गया था।

19. सचिव, पंचायती राज ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ड्रोन सर्वेक्षण गांवों का दौरा किया और स्वामित्व योजना की कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा की और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। संयुक्त सचिव (स्वामित्व) ने हरियाणा के रेवाड़ी में ग्रामीण आबादी ड्रोन सर्वेक्षण गांव का दौरा किया।

20. जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने हेतु मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत एक अनुप्रयोग – ऑडिट ऑनलाइन जारी किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करता है। इस संबंध में 11 राज्यों (असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

21. ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों को बहुभाषी तैयार करने के लिए, एलजीडी अनुप्रयोग में स्थानीय भाषा में राज्य, जिला, गांवों, आरएलबी, यूएलबी आदि जैसे सभी स्थानों के नामों को अद्यतन करने के लिए राज्यों को जून में एक एडवाइजरी जारी की गई है।

22. मंत्रालय की मीडिया और प्रचार योजना के तहत देश भर में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को त्वरित संदेश सेवा के माध्यम से विभिन्न जानकारी प्रसारित की गई और ग्रामीण जनता के बीच भारत सरकार की पहल को प्रचारित करने के लिए सोशल मीडिया द्वारा प्रचार कार्य किया जाता है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए "गरीब कल्याण रोज़गार अभियान" के संबंध में मुख्य रूप से महीने के दौरान, 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन अभियान पर IEC सामग्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की **"बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार"** शीर्षक से मंत्रालय द्वारा एसएमएस के माध्यम से पीआरआई और सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित किया गया।

23. पंचायती राज मंत्रालय सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए अपने अच्छे काम की पहचान में वित्तीय प्रोत्साहन सहित विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों / राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को प्रोत्साहित कर रहा है। पुरस्कार आमतौर पर हर साल 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) पर दिए जाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 (मूल्यांकन वर्ष 2018-19) के लिए, 3 श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार अप्रैल, 2020 के दौरान घोषित किए गए। 24 अप्रैल, 2020 को

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) के अवसर पर, माननीय प्रधान मंत्री ने लाइव टेलीकास्ट / वेबकास्ट के माध्यम से विजेताओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 की विभिन्न श्रेणियों के तहत बधाई दी। अब, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 की दो श्रेणियों के तहत पुरस्कार भी घोषित किए गए हैं:

- 28 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में भाग लेने वाले 213 पंचायतों (जिला 26, मध्यवर्ती / ब्लॉक: 48, ग्राम: 139) के लिए दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP)।
- 8 राज्यों को ई-पंचायत पुरस्कार।

जून में, इन पंचायत पुरस्कारों के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 14.74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष में संचयी निर्मुक्ति 26.03 करोड़ रुपये है।

*****

Ministry Panchayati Raj

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work

Summary on Major achievements, significant developments and important events of MoPR for the month of June, 2020

1. The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) has been given the task of making recommendations for release of Fifteenth Finance Commission (XV FC) Grants to the Rural Local Bodies (RLBs) in 28 States vide Department of Expenditure (DoE)'s letter No. 15(2) FC-XV/FCD/2020-25 dated 01.06.2020 containing guidelines on implementation of recommendations of XV FC.

2. Considering the urgent requirements of the RLBs towards rehabilitating the migrant labourers who have returned to the rural native places, in view of the COVID 19 Pandemic, and also the need for augmenting rural infrastructure towards mitigating the effects of the Pandemic, MoPR had recommended to MoF for release of the first installment of XV FC Basic (Untied) and Tied Grants to the RLBs in the 28 States, without any pre-conditions. The first installment of XV FC Basic (Untied) Grants of Rs.15187.50 crore released on 17thJune, 2020 to 28 States.

3. The availability of the XV FC Grants at the hands of RLBs are likely to strengthen the effectiveness of delivery of basic services to the rural citizens including critical requirements of water supply and sanitation as well as development of other rural infrastructure. Ministry has also suggested to the States to utilize the unspent portion of XIV FC Grants as well as the XV FC Grants in convergence mode with MGNREGS and other schemes, towards creation of Gram Panchayat Bhawans in the States, who presently do not have such facility. This would also help in gainfully engaging the services of the migrant labourers and provide them with livelihood opportunities.

4. A DO letter No.G-39011/2/2017-FD-Pt.1 dated 20th June, 2020 from Hon'ble Minister of Panchayati Raj to the State Chief Ministers has been issued to achieve the following targets/ objectives in the rural areas of the country:

(i) Restoration of economic activities in rural areas even while maintaining strict community vigil and social distancing to check spread of COVID-19.

(ii) Undertaking two key activities of 'Construction of Gram Panchayat Bhawans (GPBs)' and 'Implementation of works under Central Finance Commissions (CFC) Grants' under Garib Kalyan Rojgar Abhiyan (GKRA) from MGNREGS and CFC grants.

(iii) Undertaking the works relating to repair and maintenance of other public buildings/assets located in the Gram Panchayats such as schools, health sub-centres, cooperative stores selling seeds and fertilizers etc. by utilizing Central Finance Commissions' grants.

(iv) To bridge the key infrastructure deficit of Gram Panchayat Bhawans in rural areas as also to provide immediate employment opportunities to people as per their skill sets by utilizing CFC funds in convergence with MGNREGS, OSR of GPs and State Schemes funds.

(v) Implementation of *PFMS-PRIASoft* and *AuditOnline* applications in all the CFC Grantee States to bring in transparency in the transactions by the PRIs and; to put in place an auditing mechanism for various activities of PRIs respectively.

5. Through a joint letter dated 10th June, 2020 from Secretary, MoPR and MoRD addressed to Chief Secretaries, the States have been requested to work out the strategy for each district for construction of Panchayat Bhawans or any other community infrastructure during the current financial year 2020-21 through convergence of Finance Commission's grants with MGNREGS as well as utilization of State Finance Commission (SFC) Funds, Own Source Revenue (OSR) of Panchayats and State Schemes for bridging any fund deficit. This decision has been taken to meet the key infrastructure deficit in Rural Areas and to provide immediate employment opportunities to skilled and unskilled manpower currently available in rural areas.

6. The XV FC Coordination Committee has been constituted under chairmanship of Secretary, MoPR with representation from related Central Ministries, C&AG, NIRD&PR and Panchayati Raj Departments of State Governments from different regions, as per guidelines. The XV FC Coordination Committee shall oversee effective implementation of the recommendations of the XV FC in respect of RLBs. The States have also been asked to constitute High Level Monitoring Committees (HLMCs) under the chairmanship of Chief Secretaries for concurrent monitoring and evaluation of Utilization of XV FC Grants to the RLBs.

7. The XV FC Recommendation Committee under the chairmanship of Joint Secretary, MoPR with three Members has been constituted to recommend the release of XV FC Grants for RLBs to the States, monitor compliance of XV FC Guidelines and utilization of funds by the RLBs in the States.

8. A meeting through Video Conferencing (VC) was held with UNICEF on 10th June, 2020 to work out the modalities for implementation of "*Service level Benchmarks for Rural Water Supply, Sanitation and Hygiene Sector*". A representative from Ministry of Skill Development also participated in the VC.

9. A presentation was made by MoPR to the XV Finance Commission on 25th June, 2020 on the various recommendations made by MoPR for consideration by the Commission for its Award to RLBs for the period 2021-26.

10. All six Garib Kalyan Rojgar Abhiyan (GKRA) States of Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh have, in response to MoPR's DO letter dated 26th June, 2020, appointed Nodal Officer for monitoring/ implementing in mission mode the two key activities - (i) Construction of Gram Panchayat Bhawans (GPBs) and (ii) Implementation of Works under Central Finance Commission Grants - identified under GKRA for the Ministry of

Panchayati Raj. Progress of expenditure incurred by the GKRA Districts for the two key activities is being uploaded by the Ministry on GKRA Portal www: gkra.nic.in on weekly basis.

11. Third meeting of the Central Empowered Committee (CEC) of the *Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA)* was held on 23rd June, 2020 in which Annual Action Plan (AAP) of the States of Chhattisgarh, Gujarat, Manipur, Odisha and UT of Dadar & Nagar Haveli and Daman & Diu, Ladakh, Lakshadweep for the year 2020-21, amounting to Rs.100.29 crore were approved. Under RGSA, funds to the tune of Rs.43.14 crore released during the month to the States of Haryana, West Bengal and Maharashtra.

12. The revised project proposal from NIRD&PR integrating the activity Management and monitoring of the Project by NIRD&PR under RGSA has also been considered and approved in third meeting of CEC amounting to Rs.31.08 crore.

13. In the interim report for 2020-21, the XV FC has allocated Rs.60,750 crore for all three tier of the Panchayats with half of the funds (50%) tied sanitation and maintenance of ODF status, supply of drinking water, rain water harvesting and water recycling. The remaining balance 50% is to be utilized as per the local felt needs of the people. Accordingly, MoPR has directed all States to revise the *Gram Panchayat Development Plan (GPDP)* of 2020-21. So far, 2,21,710 Gram Panchayats (GPs), including traditional local bodies, have updated/revised their GPDP and uploaded in the eGramSwaraj Application. As the XV FC have allocated grants to all three tier of the Panchayats, which is a departure from the XIV FC recommendations, draft guidelines for formulating Intermediate/Block Panchayat and District Panchayat level plans have also been prepared and shared with the States.

14. Ministry of Panchayati Raj has taken up the initiative for *Gram Panchayat Spatial Development Planning* on pilot basis for 2 Gram Panchayats (GPs) per Institute in collaboration with 15 Architecture/Engineering Institutes in 13 States of Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttrakhand and West Bengal. A total of 32 GPs will be selected for this pilot study through a consultation process with the respective Institute and the Panchayati Raj Department of the State Government. The selected GPs will act as a beacon Panchayats for the rest of GPs located in the peri-urban and on the State and National Highways to adopt systematic planning. MoPR will be the main stakeholder as policy adviser and provide platform for the academic institutions.

15. As a measure towards augmenting transparency and accountability in management of finances available to Panchayats from various sources, MoPR has been rigorously pursuing the States for adoption of *Public Financial Management System (PFMS).* In this regard, the Ministry has been pursuing the States for closure of account on PRIASoft as well as for Gram Panchayat (GP) registration on PFMS.

- For the year 2018-19, around 87% of Gram Panchayats have closed their year books.
- For the year 2019-20, 92% of the GPs have closed their month books and 80% of the Gram Panchayats have closed their year books.

16. Furthermore, 1,51,071 Gram Panchayats have on-boarded PRIASoft-PFMS interface; out of which 1,03,906 GPs have carried out online payments through the Online Payment Module (erstwhile PRIASoft-PFMS Interface (PPI)) for the expenditure incurred under 14th Finance Commission for 2019-20

17. *eGramSwaraj*, a Simplified Work Based Accounting Application for Panchayati Raj, was launched on the occasion of National Panchayati Raj Day on April 24, 2020. In this regard, 4 online training sessions were organized by the Ministry in the month of June 2020. These Video Conference training sessions were held to make the States get acquainted with the application workflow of the eGramSwaraj.

18. *SVAMITVA* Scheme was also launched on 24th April 2020 with the aim of demarcation of inhabited (Abadi) land in rural areas by drone survey method. This would provide the 'record of rights' to village household owners possessing houses in inhabited rural areas in villages and issuance of property cards to the property owners. Meetings through VC held with Pilot Phase SVAMITVA scheme States, SoI and NIC to review the progress of SVAMITVA scheme. MoU has been signed by Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh with Survey of India regarding implementation of large-scale mapping of rural India using drone. Trial has began for the dashboard prepared for monitoring the progress of activities. The States of Uttarakhand, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, where drone-survey is being done for the first time conducted their pilot surveys in 5 villages each, for learning purpose. Various IEC activities were also commenced.

19. Secretary, MoPR visited drone survey villages in the Barabanki district of Uttar Pradesh to review the implementation status of the SVAMITVA Scheme and held discussions with senior officers of State Government. Joint Secretary (SVAMITVA) has also visited rural abadi drone survey village in Rewari, Haryana.

20. Further strengthening the transparency and accountability at grassroots level; the Ministry has rolled out an application - AuditOnline under e-panchayat Mission Mode Project (MMP). It allows for online audit of Panchayat accounts and records detailed information about internal and external audit. In this regard, training has been provided to 11 States (Assam, Gujarat, Haryana, HP, Jharkhand, MP, Rajasthan, Sikkim, Telangana, Tripura & Uttarakhand).

21. In order to prepare e-Governance applications multi-lingual, an advisory has been issued in June to the States/UTs to update names of all the locations such as State, District, villages, RLB, ULB etc in local language in LGD application.

22. Under the Media and Publicity scheme of the Ministry various information were disseminated through instant messaging services to Panchayati Raj Institutions (PRIs) across the country and social media handles to publicize the initiatives of the Government of India among rural masses. During the month mainly the information in respect of "Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan" launched by Hon'ble Prime Minister, IEC material of International Day of Yoga celebrated on 21st June, IEC materials on positive behaviour change campaign titled "बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार" of the Ministry of Health & Family Welfare were disseminated by the Ministry through SMSs to PRI and social media handles.

23. Ministry of Panchayati Raj has been incentivizing best performing Panchayats/States/Union Territories (UTs) through awards under various categories including financial incentives in recognition of their good work for improving delivery of services and public goods. The awards are generally given on the National Panchayati Raj Day (NPRD) celebrated on 24th April every year. For National Panchayat Awards 2020 (Appraisal Year 2018-19), awards under 3 categories namely, Child-friendly Gram Panchayat Award, Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar and Gram Panchayat Development Plan Award were declared during April, 2020. On the occasion of National Panchayati Raj Day (NPRD) on 24th April 2020, Hon'ble Prime Minister, through live telecast/webcast, congratulated the winners under various categories of National Panchayat Awards 2020. Now, awards under following two categories of National Panchayat Awards 2020 have also been declared:

- Deen Dayal Upadhyay Panchayat Sashaktikaran Puraskar (DDUPSP) to 213 Panchayats (District: 26, Intermediate/Block: 48, Gram: 139) in 28 participating States/UTs.
- e-Panchayat Puraskar to 8 States.

In June, total Rs. 14.74 crores have been released to states and UTs for these Panchayat awards, with cumulative release Rs 26.03 Crores in current financial year.

*****